


ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ की कार्यपरिषद की
21वीं बैठक दिनांक 05-02-2021 को पूर्वान्ह 11:00 बजे
का कार्यवृत्त।

क्रम	अधिकारियों/शिक्षकों का नाम	उपस्थिति	पदनाम
1.	प्रो० विनय कुमार पाठ, मा० कुलपति/मा० अध्यक्ष		अध्यक्ष
2.	प्रो० मसरूद आलम, संकायाध्यक्ष-कला एवं मानविकी		सदस्य
3.	प्रो० सैय्यद हैदर अली, संकायाध्यक्ष-छात्र कल्याण		सदस्य
4.	प्रो० एस०एस०ए० अशरफी, संकायाध्यक्ष-विज्ञान		सदस्य
5.	डॉ० तनवीर खदीजा, विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी विभाग।		सदस्य
6.	डॉ० सौबान सईद, सह आचार्य, उर्दू विभाग।		सदस्य
7.	डॉ० मुशीर अहमद, सह आचार्य, व्यवसाय प्रशासन विभाग।		सदस्य
8.	डॉ० नीरज शुक्ल, सहायक आचार्य, वाणिज्य विभाग।		सदस्य
9.	प्रो०एहतेशाम अहमद, परीक्षा नियंत्रक, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ		विशिष्ट आमंत्रित
10.	प्रो० चन्दना डे, अध्यक्ष-प्रस्तावित अध्यादेश एवं निदेशक-आई०क्यू०ए०सी०		विशिष्ट आमंत्रित
11.	डॉ० प्रवीण कुमार राय, कुलानुशासक एत मुख्य सुरक्षा प्रभारी		विशिष्ट आमंत्रित
12.	श्री संजय कुमार सिंह, वित्त अधिकारी।		सदस्य
13.	श्री अशोक कुमार अरविन्द, कुलसचिव।		कुलसचिव/सचिव

माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से कुलसचिव द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। सर्वप्रथम कुलसचिव द्वारा कार्यपरिषद के माननीय अध्यक्ष/कुलपति व सभी उपस्थित सम्मानित सदस्यों का बैठक में स्वागत किया गया। स्वागत के उपरान्त बिन्दुवार कार्यपरिषद की 21वीं बैठक दिनांक 05-02-2021 की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।


Khwaja Moinuddin Chishti
Language University, Lucknow


प्रो० विनय कुमार पाठक
कुलपति
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ



कार्यवाही

बिन्दु संख्या-1

विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की 21वीं बैठक दिनांक 05-02-2021 की सूचना सम्बन्धी कार्यालय-ज्ञाप संख्या 54/भा.वि.वि./कुसका/2021, दिनांक 22-01-2021 का अनुमोदन।

निर्णय-

विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की 21वीं बैठक दिनांक 05-02-2021 की सूचना सम्बन्धी कार्यालय-ज्ञाप पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।

बिन्दु संख्या-2

कार्यपरिषद की 20वीं बैठक दिनांक 19-09-2020 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि/अनुमोदन।

निर्णय-

कार्यपरिषद ने कार्यपरिषद की 20वीं बैठक दिनांक 19-09-2020 को सम्पन्न हुई अपनी बैठक में लिये गये निर्णयों की सर्वसम्मति से पुष्टि की।

बिन्दु संख्या-3

कार्यपरिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 14-12-2020 में लिये गये निर्णयों पर पुष्टि/अनुमोदन।

निर्णय-

कार्यपरिषद ने कार्यपरिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 14-12-2020 को सम्पन्न हुई अपनी बैठक में लिये गये निर्णयों की सर्वसम्मति से पुष्टि की।

बिन्दु संख्या-4

वित्त समिति की बैठक दिनांक 27 जनवरी, 2021 में लिये गये निर्णयों पर पुष्टि/अनुमोदन।

निर्णय-

कार्यपरिषद ने वित्त समिति की बैठक दिनांक 27 जनवरी, 2021 को सम्पन्न हुई अपनी बैठक में लिये गये निर्णयों निम्नानुसार संशोधन करते हुये सर्वसम्मति से पुष्टि की।


- 1- बिन्दु संख्या-09 के सम्बन्ध में टाइप-IV का रूपये 5770/- एवं टाइप-III का रूपये 4570/- किराया निर्धारित करते हुए सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।
- 2- बिन्दु संख्या-31.13 पर लिये गये निर्णय के प्रस्तर 3- में संशोधन करते हुये अधिवक्ता की फीस की धनराशि रु20,000/- प्रति केस/वाद निर्धारित की गयी, जिसमें फीस का 10 प्रतिशत अर्थात् रु2,000/- क्लर्क के रूप एवं रु03,300/- मिस्लेनियस चार्ज के रूप अतिरिक्त देय होगा।

बिन्दु संख्या-5

विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 27 जनवरी, 2021 में लिये गये निर्णयों पर पुष्टि/अनुमोदन।

निर्णय-

कार्यपरिषद ने विद्या परिषद की बैठक दिनांक 27-01-2021 को सम्पन्न हुई अपनी बैठक में लिये गये निर्णयों की सर्वसम्मति से पुष्टि की तथा पार्ट टाइम पी.एच.डी. प्रारम्भ करने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।



Khwaja Moinuddin Chishti
University, Lucknow.

(प्रो० विनय कुमार पांडेय)

कुलपति

ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती

University, Lucknow.



خواجہ معین الدین چشتی لینگویٹیج یونیورسٹی، لکھنؤ، اتر پردیش (ہندوستان)
 ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
 Khwaja Moinuddin Chishti Language University, Lucknow, U.P. (India)

U.P. STATE GOVERNMENT UNIVERSITY
 (Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of the UGC Act, 1956 & B.Tech Approved by AICTE)

बिन्दु संख्या-6

डॉ० सौबान सईद, सह आचार्य को एक वर्ष अथवा अग्रिम आदेशों तक के लिए पुस्तकालय प्रभारी नामित किये जाने सम्बन्धी कार्यालय-आदेश संख्या 2069/भा.विवि/कुसका/2020, दिनांक 19-11-2020 का अनुमोदन।

निर्णय-

डॉ० सौबान सईद, सह आचार्य को एक वर्ष अथवा अग्रिम आदेशों तक के लिए पुस्तकालय प्रभारी नामित किये जाने सम्बन्धी कार्यालय-आदेश संख्या 2069/भा.विवि/कुसका/2020, दिनांक 19-11-2020 पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।

बिन्दु संख्या-7

प्र० एहतेशाम अहमद, विभागाध्यक्ष-वाणिज्य को एक वर्ष अथवा अग्रिम आदेशों एवं उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा नियमित परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति न होने तक की अवधि के लिये परीक्षा नियंत्रक नामित किये जाने सम्बन्धी कार्यालय-आदेश संख्या-2073/भा.विवि/कुसका/2020, दिनांक 20-11-2020 का अनुमोदन।

निर्णय-

प्र० एहतेशाम अहमद, विभागाध्यक्ष-वाणिज्य को एक वर्ष अथवा अग्रिम आदेशों एवं उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा नियमित परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति न होने तक की अवधि के लिये परीक्षा नियंत्रक नामित किये जाने सम्बन्धी कार्यालय-आदेश संख्या-2073/भा.विवि/कुसका/2020, दिनांक 20-11-2020 पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।

बिन्दु संख्या-8

प्र० सैयद हैदर अली को संकायाध्यक्ष-छात्र कल्याण, डॉ० प्रियंका को सहायक संकायाध्यक्ष-छात्र कल्याण एवं डॉ० उधम सिंह को सहायक संकायाध्यक्ष-छात्र कल्याण हेतु 03 वर्ष के लिये नामित किये जाने सम्बन्धी कार्यालय-ज्ञाप संख्या 3059/भा.विवि/कुसका/2020, दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 का अनुमोदन।

निर्णय-


प्र० सैयद हैदर अली को संकायाध्यक्ष-छात्र कल्याण, डॉ० प्रियंका को सहायक संकायाध्यक्ष-छात्र कल्याण एवं डॉ० उधम सिंह को सहायक संकायाध्यक्ष-छात्र कल्याण हेतु 03 वर्ष के लिये नामित किये जाने सम्बन्धी कार्यालय-ज्ञाप संख्या 3059/भा.विवि/कुसका/2020, दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।

बिन्दु संख्या-9

डॉ० मज़हर खालिक सहायक आचार्य को आई०टी० प्रभारी नामित किये जाने सम्बन्धी कार्यालय-ज्ञाप संख्या 3060/भा.विवि/कुसका/2020, दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 का अनुमोदन।

निर्णय-

डॉ० मज़हर खालिक सहायक आचार्य को आई०टी० प्रभारी नामित किये जाने सम्बन्धी कार्यालय-ज्ञाप संख्या 3060/भा.विवि/कुसका/2020, दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।


 Registrar
 Khwaja Moinuddin Chishti
 Language University, Lucknow.

(प्र० विनय कुमार पाठक)

कुलाति
 ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
 भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ



خواجہ معین الدین چشتی لینگوتیج یونیورسٹی، لکھنؤ، اترپردیش (ہندوستان)
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
Khwaja Moinuddin Chishti Language University, Lucknow, U.P. (India)
U.P. STATE GOVERNMENT UNIVERSITY
(Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of the UGC Act, 1956 & B.Tech Approved by AICTE)

बिन्दु संख्या-10

1-प्रो० मसरुद आलम को संकायाध्यक्ष, डॉ० सौबान सईद को सहायक संकायाध्यक्ष, डॉ० जावेद अख्तर को सहायक संकायाध्यक्ष-कला एवं मानविकी, 2-प्रो० एहतेशाम अहमद को संकायाध्यक्ष, डॉ० मनीष कुमार को सहायक संकायाध्यक्ष-वाणिज्य, 3-प्रो० चन्दना डे. को संकायाध्यक्ष, डॉ० प्रवीण कुमार राय को सहायक संकायाध्यक्ष, डॉ० रुचिता सुजय चौधरी, सहायक संकायाध्यक्ष-सामाजिक विज्ञान, 4-प्रो० एस०एस०ए० अशरफी को संकायाध्यक्ष, डॉ० प्रियंका को सहायक संकायाध्यक्ष, डॉ० रज़ा अब्बास हैदरी को सहायक संकायाध्यक्ष-विज्ञान हेतु 03 वर्षों हेतु नामित किये जाने सम्बन्धी कार्यालय-ज्ञाप संख्या 3064/भा.विवि/कुसका/2020, दिनांक 24 दिसम्बर, 2020 का अनुमोदन।

निर्णय-

1-प्रो० मसरुद आलम को संकायाध्यक्ष, डॉ० सौबान सईद को सहायक संकायाध्यक्ष, डॉ० जावेद अख्तर को सहायक संकायाध्यक्ष-कला एवं मानविकी, 2-प्रो० एहतेशाम अहमद को संकायाध्यक्ष, डॉ० मनीष कुमार को सहायक संकायाध्यक्ष-वाणिज्य, 3-प्रो० चन्दना डे. को संकायाध्यक्ष, डॉ० प्रवीण कुमार राय को सहायक संकायाध्यक्ष, डॉ० रुचिता सुजय चौधरी, सहायक संकायाध्यक्ष-सामाजिक विज्ञान, 4-प्रो० एस०एस०ए० अशरफी को संकायाध्यक्ष, डॉ० प्रियंका को सहायक संकायाध्यक्ष, डॉ० रज़ा अब्बास हैदरी को सहायक संकायाध्यक्ष-विज्ञान हेतु 03 वर्षों हेतु नामित किये जाने सम्बन्धी कार्यालय-ज्ञाप संख्या 3064/भा.विवि/कुसका/2020, दिनांक 24 दिसम्बर, 2020 पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया तथा सभी संकायाध्यक्षों को लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के नियमों के अनुरूप संकायाध्यक्ष की सुविधायें अनुमन्य किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या-11

डॉ० प्रवीण कुमार राय, सह आचार्य-भूगोल को सुरक्षी सम्बन्धी कार्यों के निस्तारण हेतु सुरक्षा प्रभारी नामित किये जाने के कार्यालय-ज्ञाप संख्या 3077/भा.विवि/कुसका/2020, दिनांक 29 दिसम्बर, 2020 पर अनुमोदन।

निर्णय-


डॉ० प्रवीण कुमार राय, सह आचार्य-भूगोल को सुरक्षी सम्बन्धी कार्यों के निस्तारण हेतु सुरक्षा प्रभारी नामित किये जाने के कार्यालय-ज्ञाप संख्या 3077/भा.विवि/कुसका/2020, दिनांक 29 दिसम्बर, 2020 पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।


बिन्दु संख्या-12

डॉ० भीम सोनकर, सहायक आचार्य (संविदा) अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय को विद्युत सम्बन्धी कार्यों के निष्पादन हेतु 01 वर्ष अथवा अग्रिम आदेशों के लिए नोडल अधिकारी नामित किये जाने सम्बन्धी कार्यालय-ज्ञाप संख्या 3076/भा.विवि/कुसका/2020, दिनांक 29 दिसम्बर, 2020 पर अनुमोदन।

निर्णय-

डॉ० भीम सोनकर, सहायक आचार्य (संविदा) अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय को विद्युत सम्बन्धी कार्यों के निष्पादन हेतु 01 वर्ष अथवा अग्रिम आदेशों के लिए नोडल अधिकारी नामित


Registrar
Khwaja Moinuddin Chishti
Language University, Lucknow


(प्रो० विनय कुमार)
कुलनी
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती



خواجہ معین الدین چشتی لیتگو تیج یونیورسٹی، لکھنؤ، اتر پردیش (ہندوستان)
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
Khwaja Moinuddin Chishti Language University, Lucknow, U.P. (India)

U.P. STATE GOVERNMENT UNIVERSITY
 (Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of the UGC Act, 1956 & B.Tech Approved by AICTE)

किये जाने सम्बन्धी कार्यालय-ज्ञाप संख्या 3076/भा.विवि/कुसका/2020, दिनांक 29 दिसम्बर, 2020 पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।

बिन्दु संख्या-13

श्री प्रेम शंकर, सहायक कुलसचिव को अग्रिम आदेशों तक के लिए सम्पत्ति अधिकारी नामित किये जाने सम्बन्धी कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3078/भा.विवि/कुसका/2020, दिनांक 29 दिसम्बर, 2020 पर अनुमोदन।

निर्णय-

श्री प्रेम शंकर, सहायक कुलसचिव को अग्रिम आदेशों तक के लिए सम्पत्ति अधिकारी नामित किये जाने सम्बन्धी कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3078/भा.विवि/कुसका/2020, दिनांक 29 दिसम्बर, 2020 पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।

बिन्दु संख्या-14

डॉ० प्रवीण कुमार राय, सह आचार्य, भूगोल को रुसा समन्वयक तथा डॉ० प्रियंका, डॉ० जावेद अख्तर को रुसा सह समन्वयक के रूप में नामित किये जाने सम्बन्धी कार्यालय-ज्ञाप संख्या 3088/भा.विवि/कुसका/2020, दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 का अनुमोदन।

निर्णय-

डॉ० प्रवीण कुमार राय, सह आचार्य, भूगोल को रुसा समन्वयक तथा डॉ० प्रियंका, डॉ० जावेद अख्तर को रुसा सह समन्वयक के रूप में नामित किये जाने सम्बन्धी कार्यालय-ज्ञाप संख्या 3088/भा.विवि/कुसका/2020, दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।

बिन्दु संख्या-15

डॉ० मजहर खालिक को निदेशक, एन0आई0सी0 उ0प्र0 द्वारा साफ्टवेयर खरीद में हुयी अनियमितताओं के सम्बन्धी की जा रही जांच में पूर्ण सहयोग प्रदान किये जाने हेतु कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3090/भा.विवि/कुसका/2020, दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 का अनुमोदन।

निर्णय-

डॉ० मजहर खालिक को निदेशक, एन0आई0सी0 उ0प्र0 द्वारा साफ्टवेयर खरीद में हुयी अनियमितताओं के सम्बन्धी की जा रही जांच में पूर्ण सहयोग प्रदान किये जाने हेतु कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3090/भा.विवि/कुसका/2020, दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।

बिन्दु संख्या-16

डॉ० शावेज़ सिद्दीकी को एक वर्ष अथवा अग्रिम आदेशों के लिये विश्वविद्यालय के सफाई व्यवस्था, बागवानी एवं जलापूर्ति से सम्बन्धित व्यवस्था हेतु नोडल अधिकारी नामित किये जाने तथा डॉ० शावेज़ सिद्दीकी के सहायतार्थ डॉ० मानवेन्द्र सिंह को उप नोडल अधिकारी नामित किये जाने सम्बन्धी कार्यालय-ज्ञाप संख्या 3094/भा.विवि/कुसका/2020, दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 का अनुमोदन।


 Registrar
 Khwaja Moinuddin Chishti
 Language University, Lucknow
 [5]

(श्री० विनय कुमार धनगर)



निर्णय-

डॉ० शावेज सिद्दीकी को एक वर्ष अथवा अग्रिम आदेशों के लिये विश्वविद्यालय के सफाई व्यवस्था, बागवानी एवं जलापूर्ति से सम्बन्धित व्यवस्था हेतु नोडल अधिकारी नामित किये जाने तथा डॉ० शावेज सिद्दीकी के सहायतार्थ डॉ० गानवेन्द्र सिंह को उप नोडल अधिकारी नामित किये जाने सम्बन्धी कार्यालय-ज्ञाप संख्या 3094/भा.विवि/कुसका/2020, दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।

बिन्दु संख्या-17

अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय से सम्बन्धित कार्यों को त्वरित गति से निस्तारित किये जाने हेतु डॉ० राजेन्द्र कुमार त्रिपाठी, सह आचार्य, साईमा अलीम, सहायक आचार्य, डॉ० कौशलेन्द्र कुमार शाह, सहायक आचार्य के समन्वयकों की समिति के कार्यालय-ज्ञाप संख्या 3095/भा.विवि/कुसका/2020, दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 का अनुमोदन।

निर्णय-

अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय से सम्बन्धित कार्यों को त्वरित गति से निस्तारित किये जाने हेतु डॉ० राजेन्द्र कुमार त्रिपाठी, सह आचार्य, साईमा अलीम, सहायक आचार्य, डॉ० कौशलेन्द्र कुमार शाह, सहायक आचार्य के समन्वयकों की समिति के कार्यालय-ज्ञाप संख्या 3095/भा.विवि/कुसका/2020, दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।

बिन्दु संख्या-18

डॉ० प्रियंका, गृह विज्ञान को एक वर्ष अथवा अगले आदेशों तक के लिए महिला छात्रावास की वार्डन नामित किये जाने सम्बन्धी कार्यालय-ज्ञाप संख्या-51/भा.विवि/2021/204/14 दिनांक 22 जनवरी, 2021 का अनुमोदन।

निर्णय-


डॉ० प्रियंका, गृह विज्ञान को एक वर्ष अथवा अगले आदेशों तक के लिए महिला छात्रावास की वार्डन नामित किये जाने सम्बन्धी कार्यालय-ज्ञाप संख्या-51/भा.विवि/2021/204/14 दिनांक 22 जनवरी, 2021 पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।

बिन्दु संख्या-19

डॉ० प्रवीण राय, सह आचार्य को एक वर्ष अथवा अन्य कोई आदेश निर्गत होने तक के लिए कुलानुशासक नियुक्त किये जाने सम्बन्धी कार्यालय-ज्ञाप संख्या-50/भा.विवि/कुसका/2021, दिनांक 22-01-2021 का अनुमोदन।

निर्णय-

डॉ० प्रवीण राय, सह आचार्य को एक वर्ष अथवा अन्य कोई आदेश निर्गत होने तक के लिए कुलानुशासक नियुक्त किये जाने सम्बन्धी कार्यालय-ज्ञाप संख्या-50/भा.विवि/कुसका/2021, दिनांक 22-01-2021 पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया तथा कुलानुशासक, प्रोवोर्टर/वार्डन को लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के नियमों के अनुरूप सभी सुविधायें दिये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।


Registrar
Khwaja Moinuddin Chishti
[6] Language University, Lucknow. (प्रो० विनय कुमार पाठक)
कुलपति
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ



خواجہ معین الدین چشتی لینگوئیج یونیورسٹی، لکھنؤ، اترپردیش (ہندوستان)
 ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
 Khwaja Moinuddin Chishti Language University, Lucknow, U.P. (India)

U.P. STATE GOVERNMENT UNIVERSITY
 (Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of the UGC Act, 1956 & B.Tech Approved by AICTE)

बिन्दु संख्या-20

कुलानुशासक द्वारा प्रस्तावित कुलानुशासक मण्डल पर अनुमोदन।

निर्णय-

डॉ० प्रवीण कुमार राय, कुलानुशासक द्वारा प्रस्तावित निम्नवत् कुलानुशासक मण्डल पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया:-

कुलानुशासक मण्डल

1. डॉ० प्रवीण कुमार राय, कुलानुशासक
2. डॉ० नलिनी मिश्र, उप कुलानुशासक
3. डॉ० लक्ष्मण सिंह, सहायक कुलानुशासक

कुलानुशासक मण्डल के सदस्य

4. डॉ० राजेन्द्र त्रिपाठी
5. डॉ० जावेदन अख्तर
6. डॉ० बुशरा अलवेरा
7. डॉ० शचीन्द्र शेखर शाकुन्त
8. डॉ० मनीष कुमार
9. डॉ० ऊधम सिंह
10. डॉ० अभय कृष्ण
11. श्रीमती शान-ए-फातिमा
12. डॉ० विवेक कुमार वाजपेयी।

बिन्दु संख्या-21

प्र० दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ के संचालन हेतु समिति गठित किये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय-ज्ञाप संख्या 43/भा.वि.वि./कुसका/2021, दिनांक 19-01-2021 का अनुमोदन।

निर्णय-

प्र० दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ के संचालन हेतु समिति गठित किये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय-ज्ञाप संख्या 43/भा.वि.वि./कुसका/2021, दिनांक 19-01-2021 पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।


बिन्दु संख्या-22

प्र० चन्दना डे. को नैक मूल्यांकन का निदेशक नामित किये जाने सम्बन्धी कार्यालय-ज्ञाप संख्या-37/भा.वि.वि./उप.कुसका/2021, दिनांक 23 जनवरी, 2021 का अनुमोदन।

निर्णय-

प्र० चन्दना डे. को नैक मूल्यांकन का निदेशक नामित किये जाने सम्बन्धी कार्यालय-ज्ञाप संख्या-37/भा.वि.वि./उप.कुसका/2021, दिनांक 23 जनवरी, 2021 पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।


 Registrar
 Khwaja Moinuddin Chishti
 Language University, Lucknow


 (प्र० विनय कुमार पाठक)
 कुलपति
 ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
 भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ



बिन्दु संख्या-23

डॉ० प्रियंका को पी.एच०डी० समन्वयक नामित किये जाने का कार्यालय-ज्ञाप संख्या-39/भा.वि.वि./कुसका/2021, दिनांक 25 जनवरी, 2021 का अनुमोदन एवं मा० कुलपति जी द्वारा नामित रिसर्च को-ऑर्डिनेटर नामित किये जाने पर अनुमोदन।

निर्णय-

डॉ० प्रियंका को पी.एच०डी० समन्वयक नामित किये जाने का कार्यालय-ज्ञाप संख्या-39/भा.वि.वि./कुसका/2021, दिनांक 25 जनवरी, 2021 पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया। इसके अतिरिक्त मा० कुलपति जी द्वारा डॉ० जावेद अख्तर, सहायक आचार्य, फारसी विभाग एवं डॉ० नीरज शुक्ल, सहायक आचार्य, वाणिज्य विभाग तथा डॉ० राहुल मिश्र, सहायक आचार्य-अर्थशास्त्र को पी०एच०डी० का रिसर्च को-ऑर्डिनेटर नामित किया गया। जिसपर माननीय कार्यपरिषद् द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या-24

विश्वविद्यालय में आई०क्यू०ए०सी० सेल के गठन सम्बन्धी पत्र संख्या-75/भा.वि.वि./कुसका/2021/84/12, दिनांक 28 जनवरी, 2021 पर अनुमोदन।

निर्णय-

विश्वविद्यालय में आई०क्यू०ए०सी० सेल के गठन सम्बन्धी पत्र संख्या-75/भा.वि.वि./कुसका/2021/84/12, दिनांक 28 जनवरी, 2021 पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया तथा डॉ० तनु डंग, सहायक आचार्य, जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग एवं डॉ० नीरज शुक्ल, सहायक आचार्य, वाणिज्य विभाग को भी आई०क्यू०ए०सी० सेल में सदस्य के रूप में सम्मिलित किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।

बिन्दु संख्या-25

डॉ० सबीना बानो, सहायक आचार्य-भूगोल के पद को रिक्त मानते हुए पुनः विज्ञापित करने के सम्बन्धी पत्र दिनांक 06 जनवरी, 2021 का अनुमोदन।

निर्णय-

डॉ० सबीना बानो, सहायक आचार्य-भूगोल के पद को रिक्त मानते हुए पुनः विज्ञापित करने के सम्बन्धी पत्र दिनांक 06 जनवरी, 2021 पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।


बिन्दु संख्या-26

डॉ० ततहीर फातिमा के सह आचार्य के पद पर चयनित हो जाने के फलस्वरूप सहायक आचार्य के पद के रिक्त के कारण पुनः विज्ञापित किये जाने पर अनुमोदन।

निर्णय-

डॉ० ततहीर फातिमा के सह आचार्य के पद पर चयनित हो जाने के फलस्वरूप सहायक आचार्य के पद के रिक्त के कारण पुनः विज्ञापित किये जाने पर माननीय कार्यपरिषद् द्वारा विधिक परामर्श लिये जाने पर सहमति प्रदान की।


Registrar
Khwaja Moinuddin Chishti
Language University, Lucknow.


(प्रो० विनय कुमार पाठक)
कुलपति
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ



خواجہ معین الدین چشتی لینگویٹیج یونیورسٹی، لکھنؤ، اتر پردیش (ہندوستان)
 ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
 Khwaja Moinuddin Chishti Language University, Lucknow, U.P. (India)

U.P. STATE GOVERNMENT UNIVERSITY
 (Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of the UGC Act, 1956 & B.Tech Approved by AICTE)

बिन्दु संख्या-27

डॉ० नवरस जाट अफरीदी, सह आचार्य इतिहास विभाग के त्यागपत्र के फलस्वरूप रिक्त हुये पद को पुनः विज्ञापित कराये जाने पर विचार।

निर्णय-

डॉ० नवरस जाट अफरीदी, सह आचार्य इतिहास विभाग के त्यागपत्र के फलस्वरूप रिक्त हुये पद को पुनः विज्ञापित कराये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।

बिन्दु संख्या-28

विश्वविद्यालय के शिक्षकों की कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अन्तर्गत प्रोन्नति का अनुमोदन।

निर्णय-

विश्वविद्यालय में कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अन्तर्गत निम्नलिखित सहायक आचार्य को स्टेज-1 से स्टेज-2 पर प्रोन्नति दिये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।

क्रम	शिक्षक का नाम	स्टेज (AGP 7000/-)	Eligibility का दिनांक
1.	डॉ० अब्दुल हफीज।	Stage - 2	18-04-2017
2.	डॉ० प्रियंका।	Stage - 2	18-04-2017
3.	डॉ० मोहम्मद अकमल।	Stage - 2	22-04-2017
4.	डॉ० वसी अहमद आजम अन्सारी।	Stage - 2	22-04-2017
5.	डॉ० पूनम।	Stage - 2	22-04-2017
6.	डॉ० मो० जावेद अख्तर	Stage - 2	22-04-2017
7.	डॉ० मोहम्मद शारिक।	Stage - 2	29-04-2017
8.	डॉ० रुचिता सुजय चौधरी।	Stage - 2	03-06-2019
9.	डॉ० दोआ नकवी।	Stage - 2	01-01-2019
10.	डॉ० तनु डंग।	Stage - 2	01-07-2017
11.	डॉ० नीरज शुक्ल।	Stage - 2	22-04-2017
12.	डॉ० बुशरा अन्वेरा।	Stage - 2	15-10-2018
13.	डॉ० नलिनी मिश्रा।	Stage - 2	10-01-2018

बिन्दु संख्या-29

श्री शुभम त्रिपाठी, अधिवक्ता को विश्वविद्यालय का विधि सलाहकार नामित किये जाने सम्बन्धी कार्यालय-ज्ञाप संख्या 3093/के.एम.सी.एल.यू./रजि./247/15, दिनांक 30-12-2020 का अनुमोदन।

निर्णय-

श्री शुभम त्रिपाठी, अधिवक्ता को विश्वविद्यालय का विधि सलाहकार नामित किये जाने सम्बन्धी कार्यालय-ज्ञाप संख्या 3093/के.एम.सी.एल.यू./रजि./247/15, दिनांक 30-12-2020 पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।

बिन्दु संख्या-30

श्री कुमार आयुष को विश्वविद्यालय का अधिवक्ता नामित किये जाने के सम्बन्धी कार्यालय-ज्ञाप संख्या 64/भा.वि.वि/कुसाका/2021, दिनांक 23 फरवरी, 2021 का अनुमोदन।

Registrar
 Khwaja Moinuddin Chishti
 University, Lucknow

ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती



निर्णय-
श्री कुमार आयुष को विश्वविद्यालय का अधिवक्ता नामित किये जाने के सम्बन्धी कार्यालय ज्ञाप संख्या 64/भा.विवि/कुसका/2021, दिनांक 23 फरवरी, 2021 पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।

बिन्दु संख्या-31
श्री संदीप दीक्षित, वरिष्ठ अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय को विश्वविद्यालय का अधिवक्ता नामित किये जाने सम्बन्धी कार्यालय-ज्ञाप संख्या 1870/वी.सी./के.एम.सी.एल.यू./2021, दिनांक 28-01-2021 का अनुमोदन।

निर्णय-
श्री संदीप दीक्षित, वरिष्ठ अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय को विश्वविद्यालय का अधिवक्ता नामित किये जाने सम्बन्धी कार्यालय-ज्ञाप संख्या 1870/वी.सी./के.एम.सी.एल.यू./2021, दिनांक 28-01-2021 पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया। इसके अतिरिक्त श्री संदीप दीक्षित वरिष्ठ अधिवक्ता को धनराशि रु01,10,000/- (रुपये एक लाख दस हजार मात्र) प्रति सुनवाई (Hearing) के रूप में दिये जाने पर माननीय कार्यपरिषद् द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया। मा0 कार्य परिषद् द्वारा मा0 कुलपति जी को अधिवक्ता के पैनल के लिए भी सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या-32
उप सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-1 के पत्र दिनांक 20 जनवरी, 2021 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 52 के अधीन विश्वविद्यालय के प्रथम प्रस्तावित अध्यादेश का प्रख्यान के आलेख्य पर अनुमोदन।


निर्णय-
उप सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-1 के पत्र दिनांक 20 जनवरी, 2021 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 52 के अधीन विश्वविद्यालय के प्रथम प्रस्तावित अध्यादेश का प्रख्यान के आलेख्य पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।

बिन्दु संख्या-33
विश्वविद्यालय में शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं छात्राओं के आकस्मिक चिकित्सा सुविधा हेतु कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एण्ड हॉस्पिटल के साथ एम0ओ0यू0 किये जाने पर अनुमोदन।

निर्णय-
विश्वविद्यालय में शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं छात्राओं के आकस्मिक चिकित्सा सुविधा हेतु कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एण्ड हॉस्पिटल के साथ एम0ओ0यू0 किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।

बिन्दु संख्या-34
विश्वविद्यालय में बागवानी कार्य टेण्डर की प्रक्रिया पूरी न होने तक 17 मालियों को दैनिक मजदूरी पर कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में विचार विमर्श।


Khwaja Moinuddin Chishty
Language University, [10]
Lucknow


(प्रो. विनय कुमार पांडे)
कुलपति
स्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ



خواجہ معین الدین چشتی لینگوتیج یونیورسٹی، لکھنؤ، اتر پردیش (ہندوستان)
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
Khwaja Moinuddin Chishti Language University, Lucknow, U.P. (India)

U.P. STATE GOVERNMENT UNIVERSITY
(Recognised Under Section 2(D) & 12(B) of the UGC Act, 1956 & B.Tech Approved by AICTE)

निर्णय-

विश्वविद्यालय में बागवानी कार्य टेण्डर की प्रक्रिया पूरी न होने तक 17 मालियों को दैनिक मजदूरी पर कार्य कराये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या-35

विश्वविद्यालय की कैंटीन एवं छात्रावास की मेस के सम्बन्ध में विचार विमर्श।

निर्णय-

विश्वविद्यालय में यथा समय आवश्यकता को देखते हुए कानपुर कैटर्स के माध्यम से कैंटीन एवं छात्रावास की मेस चलाये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया तथा 01 माह के भीतर टेण्डर किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या-36

विश्वविद्यालय में लॉयन सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी सुरक्षा एजेंसी का कार्य संतोषजनक न पाये जाने के कारण नवीन सुरक्षा एजेंसी एस0आई0एस0 के माध्यम से सुरक्षा लिये जाने का अनुमोदन।

निर्णय-

कुलानुशासक द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में लॉयन सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी सुरक्षा एजेंसी का कार्य संतोषजनक न पाये जाने के कारण नवीन सुरक्षा एजेंसी एस0आई0एस0 के माध्यम से सुरक्षा ली जा रही है जिस पर मा0 कार्य परिषद् द्वारा तुरन्त टेण्डर करने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या-37

कुलानुशासक के पत्र दिनांक 30-01-2021 द्वारा छात्रावास से सम्बन्धित तैयार किये गये नियमों का अनुमोदन।

निर्णय-

कुलानुशासक के पत्र दिनांक 30-01-2021 द्वारा छात्रावास से सम्बन्धित तैयार किये गये नियमों पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।


बिन्दु संख्या-38

विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तित होने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय के नये लेटर पैड एवं प्रतीक चिन्ह का अनुमोदन किये के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय-

विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तित होने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय के पूर्व में अनुमोदित लेटर पैड, प्रतीक चिन्ह एवं फ्लैग को संशोधित कर नये लेटर पैड, प्रतीक चिन्ह एवं फ्लैग का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया तथा इनको तैयार किये गये दोनों व्यक्तियों को रुपये 5,000/- प्रशस्ति पत्र के साथ पुरस्कार स्वरूप दिये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।


Registrar
Khwaja Moinuddin Chishti
Language University, Lucknow.


(प्रो) विनय कुमार पाठक
कुलपति
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ



बिन्दु संख्या-39

शासनादेश संख्या 2560/सत्तर-4-2010-3(45)/2009, दिनांक 22 नवम्बर 2010 एवं शासनादेश संख्या 85/सत्तर-4-2013-3(45)/2009, दिनांक 11 फरवरी, 2013 द्वारा नियमित श्रेणी के सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले पदों पर जब तक उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा भर्ती नहीं कर दी जाती है, तब तक इन पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य लिये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय-

शासनादेश संख्या 2560/सत्तर-4-2010-3(45)/2009, दिनांक 22 नवम्बर 2010 एवं शासनादेश संख्या 85/सत्तर-4-2013-3(45)/2009, दिनांक 11 फरवरी, 2013 द्वारा नियमित श्रेणी के सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले पदों पर जब तक उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा भर्ती नहीं कर दी जाती है, तब तक इन पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य लिये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या-40

अपर मुख्य सचिव, कुलाधिपति/श्री राज्यपाल द्वारा विज्ञापन संख्या 01/2020, दिनांक 21 फरवरी, 2020 के क्रम में नियुक्त शिक्षकों की जांच के सम्बन्ध में निर्गत कार्यालय-ज्ञाप संख्या 41/मा. विवि/कुसका/2021, दिनांक 18 जनवरी, 2021 का अनुमोदन।

निर्णय-

अपर मुख्य सचिव, कुलाधिपति/श्री राज्यपाल द्वारा विज्ञापन संख्या 01/2020, दिनांक 21 फरवरी, 2020 के क्रम में नियुक्त शिक्षकों की जांच के सम्बन्ध में निर्गत कार्यालय-ज्ञाप संख्या 41/मा. विवि/कुसका/2021, दिनांक 18 जनवरी, 2021 का सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।


बिन्दु संख्या-41

विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-8 रा.प. /सत्तर-1-2021-16(8)/2021, दिनांक 02 फरवरी, 2021 द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-8 के अर्न्तगत तत्कालीन कुलपति-प्रो0 माहरुख मिर्जा द्वारा की गयी शिक्षकों की नियुक्ति से सम्बन्धित जांच का अनुमोदन।

निर्णय-

विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-8 रा.प. /सत्तर-1-2021-16(8)/2021, दिनांक 02 फरवरी, 2021 द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-8 के अर्न्तगत तत्कालीन कुलपति-प्रो0 माहरुख मिर्जा द्वारा की गयी शिक्षकों की नियुक्ति से सम्बन्धित जांच का सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त कार्य परिषद् द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि जब तक प्रो0 माहरुख मिर्जा के विरुद्ध जांच प्रचलित है, तब तक उन्हें किसी भी प्रकार का कोई प्रशासनिक दायित्व न दिया जाय, जिस पर मा0 कार्य परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।


Registrar
Khwaja Moinuddin Chishti
Language University, Lucknow


(प्रो0 विनय कुमार पाठक)
कुलपति
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ



خواجہ معین الدین چشتی لینگوتیج یونیورسٹی، لکھنؤ، اتر پردیش (ہندوستان)
 ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
 Khwaja Moinuddin Chishti Language University, Lucknow, U.P. (India)

U.P. STATE GOVERNMENT UNIVERSITY
 (Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of the UGC Act, 1956 & B.Tech Approved by AICTE)

बिन्दु संख्या-42

रोस्टर सत्यापन हेतु गठित समिति द्वारा प्रस्तुत रोस्टर पर विचार-विमर्श।

निर्णय-

रोस्टर सत्यापन हेतु गठित समिति द्वारा प्रस्तुत रोस्टर को उप कुलसचिव द्वारा कार्य परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित रोस्टर का परीक्षण उच्च शिक्षा विभाग से करा लिया जाय।

बिन्दु संख्या-43

अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के पत्र दिनांक 13 जनवरी, 2021 द्वारा कुलपति की नियुक्ति हेतु गठित की जाने वाली खोज समिति हेतु एक सदस्य नामित किये जाने के सम्बन्ध में विचार विमर्श।

निर्णय-

अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के पत्र दिनांक 13 जनवरी, 2021 द्वारा कुलपति की नियुक्ति हेतु गठित की जाने वाली खोज समिति हेतु एक सदस्य के नाम पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया तथा मा० कार्य परिषद् द्वारा उक्त नाम को गोपनीय रूप से अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल/कुलाधिपति को भेजने हेतु मा० कुलपति जी को अधिकृत करते हुए सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या-44

अन्य बिन्दु मा० कुलपति जी/अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

बिन्दु संख्या-44.1

परिनियमावली के परिनियम संख्या-7.10 में उर्दू, अरबी एवं फ़ारसी भाषाओं के स्थान पर परिनियमावली में संशोधन करने पर विचार।

निर्णय-

परिनियमावली के परिनियम संख्या-7.10 में निम्नवत् व्यवस्था है :

7.10 उर्दू, अरबी और फ़ारसी भाषाओं की प्रोन्नति के लिए निम्नलिखित उपाय किये जायेंगे:

(क) उर्दू, अरबी या फ़ारसी भाषाओं में से एक भाषा का पूर्व-स्नातक स्तर पर प्रारम्भिक स्तरीय अध्ययन अनिवार्य किया जायेगा।

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट अनिवार्य विषय में उत्तीर्ण होने हेतु छात्रों के लिए उत्तीर्णांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किन्तु इन अंकों की गणना परिणाम में अंकों के प्रतिशत में नहीं की जायेगी।

उपरोक्त के सम्बन्ध में मा० कार्य परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया कि चूंकि उ०प्र० शासन की अधिसूचना दिनांक 12 मार्च, 2020 में विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ कर दिया गया है तथा अन्य भाषायें यथा अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, जापानीज एवं अन्य विदेशी भाषायें में समाहित की गयी हैं। अतः मा० कार्य परिषद् द्वारा **Introduction to History and Culture of Languages** को भी लक्ष्य किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

Registrar
 Khwaja Moinuddin Chishti
 University, Lucknow

(प्रो० विनय कुमार पाठक)
 कुलपति
 ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
 विश्वविद्यालय, लखनऊ



बिन्दु संख्या-44.2

विश्वविद्यालय के हर विभाग में एक आचार्य, दो सह-आचार्य, चार सहायक आचार्य हेतु विचार।
निर्णय-

प्रो० सैयद हैदर अली द्वारा अवगत कराया कि विश्वविद्यालय में अंग्रेजी, हिन्दी, अरबी, फारसी, गृह विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, इतिहास, शारीरिक शिक्षा, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र में एक आचार्य, दो सह आचार्य, चार सहायक आचार्य की व्यवस्था लागू किया जाना उचित होगा। इस पर मा० कार्य परिषद् द्वारा एक आचार्य, दो सह आचार्य, चार सहायक आचार्य के अनुसार पद सृजित किये जाने हेतु शासन को पत्र प्रेषित किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या-44.3

एन०सी०टी०ई० के मानकानुसार शिक्षा विभाग में शिक्षकों को रखने पर विचार।

निर्णय-

एन०सी०टी०ई० के मानकानुसार शिक्षाशास्त्र विषय में शिक्षकों के पद सृजित किये जाने हेतु शासन को पत्र प्रेषित किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या-44.4

दीक्षान्त समारोह में दीक्षान्त भाषण देने तथा मानद उपाधि प्रदान किये जाने पर विचार।

निर्णय-

दीक्षान्त समारोह में दीक्षान्त भाषण देने तथा मानद उपाधि प्रदान किये जाने हेतु 03 महानुभावों यथा 1. पद्मश्री डॉ० अशोक चक्रधर, 2-पद्मश्री श्री रमेश चन्द्र शाह, 3-पद्मश्री श्री अभिराज राजेन्द्र मिश्र के नाम मा० कुलपति जी के पत्र दिनांक 29-01-2021 द्वारा अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल/कुलाधिपति को प्रेषित किये गये हैं। इस पत्र पर मा० कार्य परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या-44.5

विश्वविद्यालय में सफाई का टेण्डर प्रति मीटर की दर से विचार।

निर्णय-

माननीय कार्यपरिषद् द्वारा विश्वविद्यालय में सफाई व्यवस्था हेतु प्रतिमीटर की दर टेण्डर कराये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।

बिन्दु संख्या-44.6

दीक्षान्त समारोह में **Endowment Fund-1,00,000/-** पर विचार।

निर्णय-

दीक्षान्त समारोह में **Endowment Fund-1,00,000/-** के रूप दिये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।

बिन्दु संख्या-44.7

प्रो० मसरूद आलम को वरिष्ठता दिये जाने के सम्बन्ध में विचार।

Registrar
Khwaja Moinuddin Chishti
Language University, Lucknow

प्रो० विनय कुमार पाठक
कुलपति
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ



خواجہ معین الدین چشتی لینگویٹیج یونیورسٹی، لکھنؤ، اتر پردیش (ہندوستان)
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
Khwaja Moinuddin Chishti Language University, Lucknow, U.P. (India)

U.P. STATE GOVERNMENT UNIVERSITY
(Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of the UGC Act, 1956 & B.Tech Approved by AICTE)

निर्णय-

प्रो० मरारुद आलम की वरिष्ठता के सम्बन्ध में दिये गये प्रार्थना पत्र पर विधिक परामर्श लिये जाने पर मा० कार्य परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या-44.8

विश्वविद्यालय के शिक्षकों की सेवा जोड़ने के सम्बन्ध में विचार

निर्णय-

विश्वविद्यालय के शिक्षकों की पूर्व में की गयी सेवाओं को वर्तमान सेवा में जोड़े जाने हेतु शासन को पत्र प्रेषित किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या-44.9

विश्वविद्यालय के भवनों के संरक्षण हेतु 01 प्रभारी/नोडल अधिकारी बनाये जाने पर विचार।

निर्णय-

मा० कार्य परिषद् द्वारा प्रो० एहतेशाम अहमद को भवनों हेतु प्रभारी/नोडल अधिकारी बनाये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या-44.10

छात्र/छात्राओं द्वारा अनुशासहीनता करने पर उनमें सुधार हेतु विचार।

निर्णय-

मा० कार्य परिषद् द्वारा छात्र/छात्राओं द्वारा अनुशासनहीनता करने पर छात्र/छात्रा को दण्ड स्वरूप 01 सप्ताह अथवा 01 माह के लिए दण्ड स्वरूप एन०एस०एस० के अन्तर्गत गांव में जाकर साफ-सफाई करने एवं ह्यूमन वैल्यू के कोर्स चलाये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया, जिसके लिए कुलानुशासक एवं नोडल अधिकारी-एन०एस०एस० को अधिकृत किया गया।

बिन्दु संख्या-44.11

छात्र/छात्राओं की सीनेट बनाये जाने पर विचार।

निर्णय-

मा० कार्य परिषद् द्वारा छात्र/छात्राओं के सीनेट की समिति बनाये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया, इस हेतु संकायाध्यक्ष-छात्र कल्याण को अधिकृत किया गया।


बिन्दु संख्या-44.12

विश्वविद्यालय की प्रयोगशालाओं में प्रयोगशाला परिचर की नियुक्ति किये जाने पर विचार।

निर्णय-

मा० कार्य परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय की प्रयोगशालाओं में प्रयोगशाला परिचर आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखने पर शासन को पत्र प्रेषित किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।


Registrar
Khwaja Moinuddin Chishti
Language University, Lucknow. [15]


(प्रो० विनय कुमार पाठक)
कुलपति
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ



बिन्दु संख्या-44.13

स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों हेतु कोडिनेटर और परिणियमावली बनाये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय-

मा० कार्य परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत पाठ्यक्रम के संचालन हेतु समिति गठित किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया एवं स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत पाठ्यक्रमों हेतु परिणियमावली बनाये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया तथा स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु मा० कुलपति जी को सर्वसम्मति से अधिकृत किया गया।

बिन्दु संख्या-44.14

संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/विषय प्रभारी बनाये जाने हेतु निर्गत कार्यालय-ज्ञाप संख्या-140/भा. विवि/कुसका/2021, दिनांक 03 फरवरी, 2021 का अनुमोदन किये जाने पर विचार।

निर्णय-

संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष बनाये जाने हेतु निर्गत कार्यालय-ज्ञाप संख्या-140/भा. विवि/कुसका/2021, दिनांक 03 फरवरी, 2021 का सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

अध्यक्ष महोदय एवं कार्यपरिषद के सभी सम्मानित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(अशोक कुमार अरविन्द)

कुलसचिव/सदस्य सचिव, कार्यपरिषद।

Registrar
Khwaja Moinuddin Chishti
Language University, Lucknow

(प्रो० विनय कुमार पाठक)

मा० कुलपति/अध्यक्ष, कार्यपरिषद

कुलपति
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ